न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 309/2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/454**
दायर दिनांक :– 25.11.2024 **निर्णय दिनांक :– 21.07.2025**

1. भजनाराम पुत्र ठाकरराम जाति विश्नोई निवासी उमाणियों की ढाणी ढढू तहसील फलोदी जिला फलोदी
2. मोहनराम पुत्र ठाकरराम जाति विश्नोई निवासी उमाणियों की ढाणी ढढू तहसील फलोदी जिला फलोदी
3. भवंरूराम उर्फ भंवरलाल पुत्र ठाकरराम जाति विश्नोई निवासी उमाणियों की ढाणी ढढू तहसील फलोदी जिला फलोदी
4. सोमारी पत्नी रामनिवास जाति विश्नोई निवासी उमाणियों की ढाणी ढढू तहसील फलोदी जिला फलोदी
5. कालीदेवी पत्नी महिपाल जाति विश्नोई निवासी उमाणियों की ढाणी ढढू तहसील फलोदी जिला फलोदी
6. महिपाल पुत्र बाबूराम जाति विश्नोई निवासी उमाणियों की ढाणी ढढू तहसील फलोदी जिला फलोदी
7. रामनिवास पुत्र बाबूराम जाति विश्नोई निवासी उमाणियों की ढाणी ढढू तहसील फलोदी जिला फलोदी
8. ताजमोहम्मद पुत्र कायमदीन जाति मुसलमान निवासी कालू खां ढाणी

–प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2. एन.टी.पी.सी. रेन्युबल ऐनर्जी जरिये अधिकृत प्रतिनिधि ललित मेहता हाल भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री करणीसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रार्थीगण
2 श्री प्रमोद कुमार गौड़ व विजय तंवर
अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्व में मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अभिलेख दुरूस्ती एवं जारी करवाने स्थाई निशेधाज्ञा का पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं

21/7/25

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

दस्तावेजात से प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है कि ग्राम भडला चूहडो की बस्ती तहसील बाप में प्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त भूमि खसरा नम्बर 9/1 रकबा 3.2375 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 9/9 रकबा 1.2141 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 9/486 रकबा 0.4047 हैक्टेयर प्रार्थी संख्या 2 के नाम खसरा नम्बर 9/2 रकबा 4.8562 हैक्टेयर व प्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के नाम सह हिस्सेदारी की खसरा नम्बर 9/5 रकबा 6.4750 हैक्टेयर एवं प्रार्थीगण संख्या 3, 4, 8 के खातेदारी अधिकारो की खसरा नम्बर 9/7 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 5 के खातेदारी अधिकारो की खसरा नम्बर 9/8 रकबा 4.0469 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 6 की खातेदारी अधिकारों की खसरा नम्बर 9/12 रकबा 0.4047 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 7 की खातेदारी अधिकारों की खसरा नम्बर 9/13 रकबा 0.4047 हैक्टेयर स्थित है। इन भूमियों का कुल रकबा 29.1375 हैक्टेयर अर्थात 180—00 बीघा है। वादग्रस्त काश्त भूमि पर प्रार्थीगण का बहैसियत खातेदार काश्तकार भूमि कय करने से लगातार निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण द्वारा भूमि कय करने के समय से ही एक कृषि नलकूप संचालित हो रहा था, वादग्रस्त भूमि के चारों ओर पत्थर की पटीया खड़ी कर कांटेदार तार जाली की हुई थी। कृषि नलकूप का विद्युत कनेक्शन प्रार्थीया संख्या 5 कालीदेवी के नाम से परिवर्तित करा रखा है। कांटेदार तार जाली से घेर रखी 180 बीघा भूमि पर प्रार्थीगण का बिना किसी रूकावट के अरसे दराज से कब्जा काश्त शांतिपूर्वक चला आ रहा है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी अधिकारों कब्जा काश्त की भूमि गलत दर्ज हो रखी तरमीम को निरस्त करवाकर कब्जा काश्त माफिक तरमीम दुरूस्त करवाकर 119—17 बीघा के स्थान पर 180—0 बीघा करवाने का जायज हकदार है। अप्रार्थी संख्या 2 एन.टी.पी.सी. रेन्युबल ऐनर्जी कम्पनी का प्रार्थीगण की पूर्वी दिशा में 60—03 बीघा भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। अप्रार्थी संख्या 2 गलत पैमाईश की आड में अप्रार्थी संख्या 1 के साथ मिलकर प्रार्थीगण की पूर्वी दिशा की भूमि से जबरन बेदखल करने में सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्याकंन रूपयों में नहीं आंका जा सकेगा। प्रार्थीगण दावेदार है, अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का हकदार है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री प्रमोद कुमार गौड़ व श्री विजय ...वर ने जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 ने जवाब मे ...किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे तथा प्रार्थीगण को निर्देश दिया जावे कि अप्रार्थी संख्या 2 को आवंटित भूमि खसरा नम्बर 275/37 में किसी भी प्रकार की दखअंदाजी न तो स्यं करे और न ही अन्य से करावे तथा अप्रार्थी संख्या 2 को सोलर प्रोजेक्ट स्थापित करने में बाधा उत्पन्न नहीं करे। अप्रार्थी संख्या 1 पैरोकार सरकार ने जवाब पेश कर कथन किया कि ग्राम भड़ला (चूहडो की बस्ती) के खसरा नम्बर 275/37 रकबा 52.5700 हैक्टेयर राजकीय भूमि थी। राजकीय उपकम एनटीपीसी एनर्जी लि. को राज्य सरकार द्वारा उक्त भूमि आवंटन की गई ... प्रार्थीगण उक्त भूमि पर कब्जे को लेकर विवाद कर रहे है। एनटीपीसी द्वारा उक्त भूमि पर सोलर

...21/3/25

...यक कलेक्टर

कार्य किया जा रहा है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तथ्यहीन होने से खारिज योग्य है। पत्रावली बहस मे रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

वादगस्त भूमि की जमाबंदी सम्वत 2076–2079 ग्राम भड़ला (चूहड़ो की बस्ती) के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण संख्या 2 को ग्राम भड़ला के खसरा नम्बर 275/37 की राजकीय भूमि सोलर प्लांट स्थापित करने हेतु लीज पर आंवटित की गयी है। वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उक्त भूमि पर सोंलर प्लांट स्थापित किये जाने का कार्य किया जा रहा है। प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 जैरकार है। वादीगण के वाद में जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य सुनवाई उपरान्त ही निर्धारण किया जा सकता है कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण का हक हिस्सा है या नहीं। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में भली भांति साबित नहीं होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र और जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण संख्या 2 को ग्राम भड़ला के खसरा नम्बर 275/37 की राजकीय भूमि सोलर प्लांट स्थापित करने हेतु लीज पर आंवटित की गयी है। वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उक्त भूमि पर सोंलर प्लांट स्थापित किये जाने का कार्य किया जा रहा है। अगर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण संख्या 2 जारी की जाती है तो अप्रार्थी संख्या 2 सोलर प्लांट स्थापित करने बाधा उत्पन्न हो सकती है। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

21/3/25

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थी संख्या 2 को सोलर प्लांट स्थापित करने में विलम्ब होने से अपूर्णीय क्षति कारित हो सकती है। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण का दावा अन्तर्गत 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हुवे है।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित नहीं होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर बाप (फलोदी)

(सुखाराम [illegible] आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर बाप फलोदी (राज.)